न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी टीकम चन्द बोहरा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2024 अपील

रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शाहपुरा जिला शाहपुरा।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 19.11.2000

उपस्थित —

1. श्री दीपक पारीक अधिवक्ता — अपीलार्थी की ओर से
2. विभागीय पैरोकार — विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 13.02.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार शाहपुरा संख्या 111 दिनांक 19.11.2000 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की मिसल नम्बर 605/85 द्वारा आवंटन दिनांक 11.07.1990 आराजी नम्बर 502 में 05 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। नये भू प्रबंध के पश्चात उक्त आराजी संख्या 502 के नये नम्बर 694 व 695 रकबा क्रमशः 0.50 हैक्टेयर व 0.75 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.25 हैक्टेयर अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज करने आदेश हुआ व इस आवंटन आदेश के पश्चात दिनांक 21.01.2000 को भू अभिलेख निरीक्षक शाहपुरा के उक्त आराजी नम्बर को अपीलार्थी के नाम इन्तकाल खोलने की अनुशंषा इन्तकाल संख्या 111 पर की गई। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गए। उक्त अनुशंसा के पश्चात दिनांक 08.09.1998 को उपखण्ड अधिकारी को समस्या समाधान शिविर ग्राम दौलतपुरा मुकाम बोरड़ा पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटियों का हाल रिकार्ड में खाता खोलने की कार्यवाही की जावे व खातेदारी अधिकार देने के लिये जिला कलक्टर को अनुशंषा प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश के बाद तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 19.11.2000 को इन्तकाल संख्या 111 की पुस्त पर नामान्तरण को निरस्त फरमा दिया गया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2023 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं जवाब तलब किया गया।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

3. दिनांक 12.02.2024 को विपक्षी का जवाव प्राप्त हुआ एवं उभय पक्ष वहस सुनी गई अपीलार्थी अधिवक्ता की वहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वताया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलाधीन आराजी पर आवंटन दिनांक से आजतक अपीलार्थी का कब्जा काश्त है एवं अपीलार्थी इंतकाल खुलवाये जाने का विधिक अधिकारी है। तहसीलदार शाहपुरा को कब्जे की जानकारी नहीं होने के कारण इक्त इंतकाल संख्या 111 दिनांक 19.11.2000 को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही अवगत कराया गया कि भूलवश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के दिनांक दिनांक 14.11.2002 को अपील प्रस्तुत कर देने पर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा दिनांक 28.07.2003 को आदेश कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में नाम नामान्तरण खोले जाने एवं उक्त अपीलाधीन आराजियात् का खातेदार काश्त अपीलार्थी को घोषित करना फरमावें।

4. विपक्षी की ओर से विभागीय पैरोकार द्वारा बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की उक्त अपीलाधीन आराजियात पर अपीलार्थी काबिज होकर कई वर्षो से काश्त करता आ रहा है।

5. मामले के तथ्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि तहसीलदार शाहपुरा को ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा आराजी संख्या 502 के नये नम्बर 694 व 695 रकबा क्रमशः 0.50 हैक्टेयर व 0.75 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.25 हैक्टेयर पर अपीलार्थी के कब्जा हाने की जानकारी नहीं थी। वर्तमान में विपक्षी तहसीलदार शाहपुरा द्वारा काफी समय से उक्त अपीलाधीन आराजियात पर कब्जा हाने व काश्त करने की बात स्वीकार की गई है। ऐसे में तहसीलदार शाहुपरा द्वारा दिनांक उक्त अपीलाधीन आराजियात् से संबंधित नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 19.11.2000 को खारिज किया जो कि विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

6. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा द्वारा ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा नम्बर 694 व 695 रकबा क्रमशः 0.50 हैक्टेयर व 0.75 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.25 हैक्टेयर से संबंधित नामान्तकरण संख्या 111 में दिनांक 19.11.2000 को पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, शाहपुरा को उक्त नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(टीकम चन्द बोहरा)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा